राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांकःप.8(ग)(   )नियम/डीएलबी/2021/ 55804–56017 दिनांकः 12/5/21

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राज0।

विषयः– नगरीय निकायों में ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किये जाने के संबंध में।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर में तेजी से बढते कोरोना संक्रमितों की मेडिसिन ऑक्सीजन पर निर्भरता के मध्यनजर राज्य के नगरीय निकायों द्वारा अपने–अपने संसाधनों से एवं निजी संस्थाओं द्वारा ऑक्सीजन गैस संयत्र स्थापित किए जाने के संबंध में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आंवटन) नियम, 2012 एवं अन्य नियमों में छूट/शिथिलता प्रदान किये जाने बाबत जारी नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.17(16)न.वि.वि/नियम/2021 दिनांक 03.05.2021 तथा अधिसूचना क्रमांक प.17(05)न.वि.वि/नियम/2021 दिनांक 10.05.2021 की प्रति संलग्न कर लेख है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में उक्त आदेश/अधिसूचना में प्रदान की गई छूट/शिथिलता के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(   )नियम/डीएलबी/2021/56018–278 दिनांकः 12/5/21

प्रतिलिपी सूंचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज0 जयपुर।
7. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
7. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।

वरिष्ठ सयुंक्त विधि परामर्शी

latter&21

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.17(16)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांकः– 03 मई, 2021

–:आदेश:–

वर्तमान में कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर में तेजी से बढते कोरोना संक्रमितों की मेडिसिन ऑक्सीजन पर निर्भरता बहुत तेजी से बढ रही है, जिसके मध्यनजर राज्य के नगरीय निकायों द्वारा अपने–अपने संसाधनों से एवं निजी संस्थाओं द्वारा ऑक्सीजन गैस संयत्र स्थापित किए जाने के संबंध में तकनीकी एवं सुरक्षात्मक प्रावधानों के प्रचलित नियमों के अनुसार निकाय स्तर से सुनिश्चितता किए जाने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत निम्न शिथिलता/छूट व्यापक जनहित में प्रदान की जाती हैं :–

1. मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट कृषि/अकृषि भूमि पर स्थापित किए जाने हेतु प्रभावी एवं ड्राफ्ट मास्टर प्लान के समस्त भू–उपयोगों (प्लांटेशन बैल्ट, पार्क, प्ले ग्राउण्ड आदि को छोडकर) में अनुज्ञेय होंगे।
2. निर्देशित किया जाता है कि मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के आवेदन के साथ भूमि अवाप्ति में न होने, कोर्ट में वाद लंबित न होने, भूमि का टाईटल निर्विवादित होने, भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने बाबत शपथ पत्र लिया जाकर, शपथ के आधार पर 90–ए का आदेश जारी किया जावे। भूमि संबंधित निकाय के नाम दर्ज की जाकर नियमानुसार ले–आउट प्लान/साईट प्लान अनुमोदित कर जारी किया जावे। अनुमोदन पश्चात उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को गलत पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञा/अनुमोदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
3. मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने हेतु भवन विनियम 2020 के अंतर्गत भवन मानचित्र शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।
4. मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने हेतु समस्त क्षेत्रफल के पट्टा विलेख संबंधित निकाय स्तर पर ही जारी किए जायेंगे, राज्य सरकार से पृथक से स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।
5. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के अंतर्गत देय प्रीमियम में शत प्रतिशत छूट तथा नियम 20 के अंतर्गत लीज राशि में छूट के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जा रही है।

महामारी की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त कार्यवाही 7 कार्य दिवस में पूर्ण की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

3.5.2021

(राजपाल सिंह यादव)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त नगरीय निकायों को उपरोक्तानुसार निर्देशित किए जाने का श्रम करावें।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

3.5.2021

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.17(15)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांकः– 10/05/2021

–: अधिसूचना :–

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के उप नियम (2) एवं नियम 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर को दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने के लिए कृषि भूमि की अनुज्ञा एवं आवंटन पर उक्त नियमों के नियम 9 के उप–नियम (1) के अधीन प्रीमियम से शत प्रतिशत छूट एवं नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन लीज राशि से शत प्रतिशत छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

10.5.2021
(राजपाल सिंह यादव)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

10.5.2021
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

Scanned with CamScanner